राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मनोहर सिंह बनाम कुबेर सिंह 853/2022 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

17/02/2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र धारा–5 कानून मियाद पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 04/03/2026 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

04/03/2026

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी को निर्णय जेर अपील व डिक्री की कभी कोई जानकारी नहीं हुई, क्योंकि निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को कोई नोटिस नहीं मिला और नाही विधिवत तामील हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा निर्णय पारित किया गया है। पिछले दिनों अपीलार्थी अपनी फसल को संभालने के लिये ग्राम रामपुरा खुर्द व गुगोलाव आया तो रेस्पो. कुबेर सिंह व उसकी और से काश्त को लेकर कुछ लोगों ने झगड़ा किया एवं उसके पश्चात उसके स्वयं द्वारा अपीलार्थी से झगड़ा किया गया। इस पर अपीलार्थी ने तकासमा करवाने के लिये पटवारी से जमाबन्दी की नकल ली तो उसमें डिक्री के आधार पर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राजात करने का नोट लगा हुआ था, उस पर अपीलार्थी ने दौसा जाकर तथ्यों का पता करने का प्रयास किया एवं लगातार दो तीन दिन तक उसे तथ्यों का ज्ञान नहीं हो सका एवं उसके पश्चात सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की जानकारी होने पर उसी दिन फ़ैसला व नकल डिक्री हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसकी नकल प्राप्त होते हुए यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की गयी है। अतः प्रार्थना पत्र धारा–5 कानून मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण 1/1 व 1/2 की और से जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा – 5 मियाद अधिनियम का पेश कर उसमें अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा किया गया कथन कि "अपीलांट को प्रश्नाधीन डिक्री व निर्णय की जानकारी में नहीं थी, नोटिस नहीं मिला व विधिवत तामील नहीं हुई।" तथ्य पूर्णतया गलत व असत्य हैं वास्तविकता यह है कि अपीलांट की ओर से माता प्राकृतिक संरक्षक श्रीमती मगन कंवर बेवा स्व. रावतसिंह जी ने विधिवत वकालतनामा न्यायालय के समक्ष जरिये अभिभाषक श्री गुलाम मोहम्मद जी पेशकर मुकदमें में पैरवी की है तथा वाद पत्र का जवाब पेश किया है। कानूनन वकील द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा पक्षकार द्वारा प्रस्तुत जवाब की श्रेणी में आता है। प्रार्थी/अपीलांट का यह

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मनोहर सिंह बनाम कुबेर सिंह 853/2022 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अंकित करना कि उसे विधिवत तामील नहीं हुई तथ्य कानूनी प्रावधानों के प्रतिकूल होने के कारण पूर्णतया अस्वीकार है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वाद पत्र प्रस्तुत करने के दिन पक्षकारान संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य थे। जिन्हें परिवार के मध्य होने वाले सभी कृत्यों की जानकारी थी प्रार्थी का इस मद में यह अंकित करना कि निर्णय इकतरफा में दी गई है तथ्य पूर्णतया असत्य व काल्पनिक होने के कारण अस्वीकार है। इस मद में अंकित दिनांक 25/08/2002 की घटना मनगढ़त व काल्पनिक होने के कारण अस्वीकार है। दिनांक 25/08/2002 को झगड़े की घटना भी काल्पनिक है। दिनांक 26/08/2002 को झगड़े का उल्लेख प्रार्थी द्वारा किया है झगड़ा किसने व किस बात पर किस व्यक्ति से किया प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख नहीं किया है। दिनांक 26/08/2002 को प्रार्थी ने पटवारी से जमाबन्दी की नकल लेने का उल्लेख किया किन्तु पटवारी का कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया है। जमाबंदी की नकल लेने व उसमें अंकित नोट को पढ़ने पर प्रश्नाधीन डिक्री व निर्णय की जानकारी होने का तथ्य भी काल्पनिक है। यहां स्पष्ट किया जाता है कि प्रार्थी/अपीलांट को प्रश्नाधीन डिक्री एवं निर्णय दिनांक 14/12/1976 की जानकारी प्रारम्भ से रही है। प्रार्थी ने जमाबंदी की नकल तथाकथित दिनांक 26/08/2002 से पूर्व ही प्राप्त कर अपने हिस्से की भूमि को भारतीय स्टेट बैंक शाखा दौसा ऋण पूर्व में ही प्राप्त कर लिया था जिसके आधार पर नामातंरण संख्या 56 दिनांक 28/06/2002 को तहसीलदार दौसा द्वारा तस्दीक/स्वीकार किया। प्रार्थी का इस मद में प्रश्नाधीन डिक्री एवं निर्णय की जानकारी पटवारी हल्का से जमाबंदी की नकल दिनांक 26/08/2002 को प्राप्त करने पर होने का तथ्य प्रार्थी के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक से ऋण प्राप्त करने व दिनांक 28/06/2002 को नामान्तरकरण संख्या 56 तहसीलदार दौसा द्वारा स्वीकार करने से असत्य प्रमाणित हो जाता है। प्रार्थी ने वास्तविक तथ्यों को छुपा कर (Concealment of fact) यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधी अधिनियम 1963 पेश किया है कानुनन प्रार्थी/अपीलांट असाधारण विलम्ब से पेश अपील 26–27 वर्ष पश्चात व वयस्क होने के लगभग 22–23 वर्ष पश्चात पेश अपील में विलम्ब को माफ करवाने का अधिकारी नहीं है कानून जागरूक पक्षकार ही न्याय प्राप्त करने का अधिकारी है सोने वाले पक्षकार को नहीं है जैसा कि न्यायिक द्रष्टांन्त 2000(2) RLR 258 सुमेर सिंह बनाम मैसर्स पुष्पा मोटर्स व अन्य में अभिनिर्धारित किया कि "Law

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मनोहर सिंह बनाम कुबेर सिंह हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
853/2022		

Help Vigilant And Not The Indolent" प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अपील को देरी से पेश करने की अवधी पर्याप्त कारण Sufficient Cause नहीं दिया है जिसके अभाव में प्रार्थी विलम्ब को माफ करवाने का अधिकारी नहीं है जैसा कि AIR 2014 SC&1612 Brijash Kumar vs state of Haryana में अभिनिर्धारित किया गया है– Showing of sufficient Cause is Condition precedent for the exercise of discretion by court for Condoning delay हस्तगत प्रकरण में अपील पेश करने में लगभग 26 27 वर्ष का विलम्ब है कानूनन न्यायालय को मियाद को बढ़ाने का अधिकार नहीं है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने AIR 1998 SC 2276 P-K-Ram Chandes vs State of Kerala मे आभिनिर्धारित किया है कि Court have no power to extend the Limitation on equitable grounds, इसके अतिरिक्त AIR 20 SC 1237 Union of India vs Nripen Sharma में आभिनिर्धारित किया गया If no Sufficient Cause shown delay cannot be condoned. इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में finality of deeree is critical endless repering of settled mattess is not acceptable as held in Lankhbir Singh vs State of Punjab (2021) 9 Scc-3951.

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र असत्य व कानून विरूद्ध तथ्यों पर वास्तविक तथ्यों को छुपा कर पेश किया जाने के कारण सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14/12/1976 के विरूद्ध वर्ष 2002 में करीबन 26 वर्ष की देरी से प्रस्तुत की गई है एवं इतनी लम्बी अवधि की देरी को क्षम्य करवाने हेतु अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में सरसरी तौर पर तथ्य अंकित किये गये है जबकि विधि के प्रावधानों के अनुसरण में दिन–प्रतिदिन की देरी को स्पष्ट किया जाना अपीलार्थी के लिये आवश्यक था किन्तु ऐसा नहीं कर सरसरी तौर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मनोहर सिंह बनाम कुबेर सिंह 853/2022 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पर इतनी लम्बी अवधि के डिले को कन्डोन करवाने के अपीलार्थी अधिकार जाहिर नहीं होती है। इसके अतिरिक्त दौराने बहस रेस्पो. द्वारा अपीलार्थी को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी पूर्व से ही होने के संदर्भ में उद्धरित तथ्यों के प्रतिउत्तर में अपीलार्थी द्वारा कोई ठौस तर्क उद्धरित नहीं किये गये है, जिससे की उन्हें मियाद का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित एवम् आवश्यक प्रतीत होता हो जबकी नामान्तकरण संख्या 56 दिनांक 28/06/2002 एवं जमाबन्दी संवत् 2056 से 2059 अवलोकन से रेस्पो. द्वारा अपीलार्थी को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी पूर्व से ही होने के तर्को की पुष्टी होती है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा बहस में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित होने के वक्त उनका नाबालिग होना बताया गया है परन्तु अपीलार्थी द्वारा उनके बालिग होने के उपरान्त करीबन 20 वर्ष की समयावधि के संदर्भ में कोई स्पष्टीकरण अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 में एवं दौराने बहस नहीं दिया गया है। ऐसे में अपीलार्थी अपनी बहस के माध्यम से उद्धरित तर्को को साबित करने में असफल रहे है। ऐसी स्थिति में रेस्पो. द्वारा दौराने बहस उद्धरित माननीय उच्चतर न्यायालयों की नजीरे AIR 1998 SC-2276, AIR20 SC-1237, AIR 2014 SC-1612 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अध्यधीन अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी की अवधि का पर्याप्त कारण अपीलार्थी द्वारा नहीं दिये जाने से वह इतनी लम्बी अवधि के विलम्ब को माफ करवाने के अधिकारी जाहिर नहीं होते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। फलस्वरूप अपील अपीलार्थी मियाद बाहर धारित कर खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर